**पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881**

**(Negotiable Instruments Act, 1881)**

**(धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता, 1860) और धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881**

**(संशोधित, 1988 व 2002 के अन्तर्गत (शिकायत) दावा**

**(Complaint u/sec. 420 of the IPC and Sec. 138 of the N.I. Act, 1881**

**(As Amended by Act, 1988 &2002)**

न्यायालय………..

शिकायती वाद नंबर ............ सन् ......

अ०ब०स० ............ शिकायतकर्ता

**बनाम**

स०द० फ० ............ अभियुक्त

श्रीमान जी,

उपरोक्त शिकायतकर्ता निम्न प्रकार सविनय निवेदन करता है :

1. यह कि शिकायतकर्ता एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है जो कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है जिसका प्रमाण-पत्र नंबर ............ दिनांक ............ है जो कि निबंधक कम्पनीज दिल्ली और हरियाणा, नई दिल्ली द्वारा निर्गत है जिसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में स्थित हैं ।
2. यह कि अभियुक्त एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका कार्यालय ............ पर है और श्री ......... और श्री ............ इसके पार्टनर हैं जो फर्म के काम काज को चलाते हैं ।
3. यह कि अभियुक्त नंबर 2 शिकायतकर्ता कम्पनी के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में आया और गलत ब्यानी करते हुए कहा कि वे दक्षिण के बाजारों की स्थिति से अच्छी प्रकार से परिचित ह और विशेष रूप से मद्रास के बाजारों से और उनके पर्याप्त सम्बन्ध हैं और वे वहाँ पर्याप्त व्यवसाय आर साख जमा सकते हैं और इस प्रकार से शिकायतकर्ता कम्पनी को अपने उत्पादन की सप्लाई मास में उनकी फर्म को विक्रय हेत देने के लिए प्रेरित किया। शिकायतकर्ता कम्पनी द्वारा अभियुक्त H०.2 के कहे अनुसार विश्वास करके और उसे सच जानकर वास्तविक रूप से अभियुक्त फर्म को पन उत्पादन की पूर्ति करने के लिए सहमत हो गई। अभियुक्त नंबर 2 द्वारा हस्ताक्षरित 15 चैक देहली कम्पनी के कार्यालय में हस्तगत किये गये और यह विश्वास दिलाया गया कि प्रस्तुत जाने पर उनका भुगतान मिल जायेगा और इस प्रकार से शिकायतकर्ता कम्पनी को अपने दन का पूर्ति अभियुक्त को करने के लिए प्रेरित किया। उपरोक्त चैकों का विवरण निम्न प्रकार दिया गया है।

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| चैक नंबर | बैंक | दिनांक | धन राशि |
|  |  |  |  |

1. यह कि आरोपी फर्म को एक डीलर के रूप में कम्पनी के उत्पादन की बिक्री और विवरण हेतु मद्रास के लिए नियुक्त किया गया। अभियुक्तगणं सं० 2 व 3 फर्म व फर्म के व्यापार के संचालन के लिए प्रभारी व उत्तरदाई थे।
2. यह कि शिकायतकर्ता कम्पनी द्वारा अपनी विभिन्न उत्पादनों की आपूर्ति मद्रास में विक्रय हेतु करना प्रारम्भ कर दिया।
3. यह कि शिकायत कर्ता कम्पनी द्वारा अभियुक्त के साथ होने वाले लेन देन का चालू खाता रखना प्रारम्भ कर दिया गया था अभियुक्त को की गई सप्लाई को फर्म के नाम अंकित कर दिया जाता था और आरोपी फर्म से प्राप्त धन उसके खाते में जमा कर दिया जाता था।
4. यह कि अभियुक्त नंबर 2 और 3 आरोपी फर्म के पार्टनर हैं और वे ही फर्म के व्यापार का प्रबन्ध कर रहे हैं। उपरोक्त चैकों को अभियुक्त नंबर 2 द्वारा हस्ताक्षर करके शिकायतकर्ता कम्पनी के नई दिल्ली कार्यालय में हस्तगत किया गया था जो कि आरोपी फर्म को की गई आपूर्ति के भुगतान के रूप में था।
5. यह कि शिकायतकर्ता का कहना है कि उक्त चैको को शिकायतकर्ता कम्पनी के बैंक के माध्यम से दिनांक ............ को भुगतान को वास्ते प्रस्तुत किया गया तो आरोपी फर्म के बैंकर द्वारा उपरोक्त विवरणानुसार अंकन रु० ............ के चैकों को बिना भुगतान किये वापस दिनांक ............ को कर दिया गया और यह (प्रबन्ध से अधिक है) excecds arrangement' की टिप्पणी लगाई गई । अनादरित चैकों की सत्य प्रतियाँ एक जारी करके संलग्नक A पर इस वाद पत्र के साथ संलग्न की गई हैं साथ ही बैंक का मीमो भी नत्थी किया जा रहा है।
6. यह कि अभियुक्त फर्म के बैंक द्वारा अनावृत चैकों को प्राप्त करने के उपरान्त शिकायत कर्ता कम्पनी द्वारा तत्काल अभियुक्त नंबर 2 और 3 को फर्म के पार्टनरों को सूचित किया गया। पुन: अभियुक्त नंबर 2 दिल्ली आया और शिकायत कर्ता कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक से मिला और विश्वास दिलाया कि चन्द दिनों में ही अनावृत चैकों का भुगतान कर दिया जायेगा।
7. यह कि शिकायतकर्ता कम्पनी को अभियुक्त द्वारा विश्वास दिलाये जाने के बावजूद अभियुक्तों द्वारा शिकायतकर्ता कम्पनी को अनादरित चैकों का भगतान करने के लिए कोई कार्यवाहा नही की गई।
8. यह कि शिकायतकर्ता कम्पनी द्वारा अभियुक्त के बैंकर से दिनांक ............ को सूचना प्राप्त होने के अनुसरण मे और अनादृत चैकों का अभियुक्त द्वारा भुगतान विश्वास दिये जान के उपरान्त भी, ना करने के कारण दिनांक............ को पंजीकृत A/D नोटिस अकन रु० ............ का भुगतान करने की माँग करते हए तथा 30% वार्षिक ब्याज के साथ भगतान करत हेत दिया गया जो संलग्नक 'B' पर नोटिस की फोटो कापी संलग्नक की गई है। बैंक का पर अनादर होने की सूचना के 30 दिन के अन्दर ही नोटिस दे दिया गया था।
9. यह कि आरोपी फर्म द्वारा दिनांक ............को उपरोक्त नोटिस प्राप्त किया गया जो कि डाकखान की रसीद और AD की फोटो कापी संलग्नक .पर नत्थी की गई है। शिकायत कम्पनी द्वारा दिनांक ............. को आरोपी फर्म को एक टेलेक्स मैसेज भी भेजा गया जि उपराक्त चेकों की वापसी और भगतान के लिए अनरोध किया गया था। उपरोक्त टेलक्स का कापी संलग्लनक D पर नत्थी की गई है।
10. यह कि अभियुक्त द्वारा झूठा कथन करके शिकायतकर्ता कम्पनी को यकीन दिलाया गया और उसे अन्य माल की आपूर्ति करने के लिए प्रेरित किया गया। इसलिए इस से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त प्रारम्भ से ही बेईमानी की नीयत रखता था ताकि शिकायतकर्ता कम्पनी को धोखा दे सके और स्वयं गैर कानूनी रूप से लाभ उठाने और शिकायतकर्ता कम्पनी को गैर कानूनी रूप से हानि पहंचाने के द्वारा धारा 420 IPC के अन्तर्गत अपराध कारित करने का दोषी है । नोटिस प्राप्त करने के 15 दिवस में अभियुक्तगण ने भुगतान नहीं किया-इस प्रकार अभियुक्तगण ने धारा 138 पलि० अधिनियम, 1881 का अपराध किया अपराध करने के दिनांक को भी अभियुक्तगण सं02 व 3 अभियुक्त सं० 1 व उसके व्यापार के संचालन हेतु प्रभारी व उत्तरदाई थे।
11. यह कि सविनय निवेदन है कि सम्पूर्ण वाद हेतुक देहली में उत्पन्न हुआ चूँकि अभियुक्त शिकायतकर्ता कम्पनी के कार्यालय दिल्ली में पहुँचा और चैकों पर हस्ताक्षर करके दिल्ली में ही हस्तगत किये गये और शिकायतकर्ता कम्पनी को दिल्ली में ही माल की आपूर्ति करने हेतु प्रेरित किया गया और धन का भुगतान दिल्ली में ही करने का वायदा किया और इस प्रकार से वाद हेतु दिल्ली में ही उत्पन्न हुआ। इस मान्य न्यायालय को इस प्रकार से अपराध का संज्ञान लेने काक्षेत्राधिकार प्राप्त है।
12. यह कि अभियुक्तगण द्वारा धारा 420 IPC और धारा 138 NIA के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया गया है। कारण उत्पन्न होने के 30 दिन के अन्दर/............ अपरिहार्य कारणों से ............ दिन के क्षम्य योग्य विलम्ब से परिवाद योजित किया जा रहा है।

इसलिए सविनय निवेदन है कि अभियुक्तों को धारा 420 2PC और धारा 138 NIA के अन्तर्गत सुनवाई हेतु कानून के अनुसार तलब करके दण्डित किया जावे और धारा 357 CrPC के तहत और 117 NIA के अन्तर्गत अर्थ दण्ड से दण्डित करते हुए निम्न प्रकार भुगतान करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा की जाये।

1. चैक की धनराशि - रु० 4,96.053-00
2. बैक सर्विस चार्जेज - रु० 2000-00
3. नोटिस चार्जेज - रु० 1100-00
4. एडवोकेट का मेहनताना - रु० 5000-00

**5,04,153-00**

**Plus Inst. @ 30% till payment**

**स्थान - नई दिल्ली**

**दिनांक.................**

**शिकायतकर्ता ..............**

**द्वारा अधिवक्ता...........**